

प्रेस नोट दिनांक 14/01/2021

थाना गागलहेड़ी, सहारनपुर पुलिस द्वारा 25 हजार का ईनामी शेरु उर्फ शेरा उर्फ नरेश पुत्र जनेश्वर को एक अवैध तमंचा 315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस सहित किया गिरफ्तार:-

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा ईनामिया अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे धरपकड़ अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक नगर व सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी सदर, सहारनपुर के कुशल नेतृत्व में दिनांक 13/01/2021 को थाना गागलहेड़ी पुलिस द्वारा 25 हजार का इनामी अभियुक्त शेरु उर्फ शेरा उर्फ नरेश पुत्र जनेश्वर नि० ग्राम फतेहपुर उर्फ सांपला दीवड़ा थाना देवबन्द जनपद स०पुर को एक अवैध तमंचा 315 बोर मय 02 जिन्दा कार० सहित अमरपुर मोड़ से समय 18:30 बजे गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना गागलहेड़ी पर पंजीकृत मु०अ०स० 258/11 धारा 364ए/120बी भादवि में वर्ष 2011 से वांछित व 25000/- रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया था। गिरफ्तार अभियुक्त के थाना गागलहेड़ी पर मु०अ०स० 16/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

1-शेरु उर्फ शेरा उर्फ नरेश पुत्र जनेश्वर नि० ग्राम फतेहपुर उर्फ सांपला दीवड़ा थाना देवबन्द जनपद स०पुर।

बरामदगी का विवरण:-

1-एक अदद तमंचा 315 बोर मय 02 जिन्दा कार० 315 बोर।

आपराधिक इतिहास:-

- 1-मु०अ०स० 09/1999 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना देवबन्द, सहारनपुर।
- 2-मु०अ०स० 423/1999 धारा 3/4 यूपी गुण्डा एक्ट थाना देवबन्द, सहारनपुर।
- 3-मु०अ०स० 258/2011 धारा 364ए/120बी भादवि थाना गागलहेड़ी, सहारनपुर।
- 4-मु०अ०स० 16/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना गागलहेड़ी, सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1-प्रभारी निरीक्षक श्री भानु प्रताप सिंह थाना गागलहेड़ी, सहारनपुर।
- 2-उपनिरी० श्री सुबोध कुमार थाना गागलहेड़ी, सहारनपुर।
- 3-का० 148 अनुज सिरोही थाना गागलहेड़ी, सहारनपुर।
- 4-का० 1203 रोहित राणा थाना गागलहेड़ी, सहारनपुर।
- 5-का० 1243 अंकित पवार थाना गागलहेड़ी, सहारनपुर।
- 6-का० 1105 सचिन कुमार थाना गागलहेड़ी, सहारनपुर।